यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/172/2020 **दिनांक :** 11.11.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

बधाईयाँ – 11वाँ द्विपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित – एक अनूठी उपलब्धि

हमें अपनी सभी इकाईओं एवं सदस्यों को यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज 11वाँ द्विपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हो गया है। हम 11वें द्विपक्षीय समझौते की प्रमुख विशेषताओं के विषय में एआईबीईए, एनसीबीईए, एनओबीडब्ल्यू तथा इन्बैफ द्वारा जारी संयुक्त परिपत्र दिनांक 11.11.2020 का अनूदित सार अपनी सभी इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

बधाईयाँ – दिवाली धमाका
11 नवम्बर, 2020 को 11वाँ द्विपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित
एक राष्ट्र, एक वेतन की उपलब्धि हासिल की गई

हमें अपनी सभी यूनियनों और सदस्यों को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि तीन साल से अधिक समय तक चली लंबी और दीर्घ वार्ता के बाद तथा कई बाधाओं और अड़चनों को पार करने के बाद, आखिरकार, बैंक कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण और सेवाशर्तों में सुधार के बारे में 11वें द्विपक्षीय समझौते पर आज मुम्बई में आईबीए के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं।

प्रमुख विशेषतायें :

- **वेतन बिल में वृद्धि रू. 3385 करोड़ प्रति वर्ष**
- **29 बैंक कवर किए गए – 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक + 10 निजी बैंक + 7 विदेशी बैंक**
- **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों और विदेशी बैंकों के 5 लाख कर्मचारियों को कवर किया गया।**
- **अवधि : नवम्बर, 2017 से अक्टूबर 2020**
- **पहली बार – अनूठा – पूरे भारत में एकसमान मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, विशेष भत्ता, परिवहन भत्ता, आदि।**

जारी पृष्ठ 2

वेतनमान

लिपिकीय संवर्ग

17900	1000	1230	1490	1730	3270	1990	47920	1990	65830
	3	3	4	7	1	1		9	

अधीनस्थ संवर्ग

14500	500	615	740	870	1000	28145	1000	37145
	4	5	4	3	3		9	

अवरोध वेतन वृद्धि

लिपिकीय : रू. 1990 – 2 वर्ष में एक बार 9 वेतनवृद्धि
अधीनस्थ : रू. 1000 – 2 वर्ष में एक बार 9 वेतनवृद्धि

विशेष वेतन : लिपिकीय संवर्ग के लिए

	वर्तमान	11वां बीपीएस
सिंगल विंडो ऑपरेटर 'बी'	820	1250
प्रधान रोकड़िया II	1280	1940
विशेष सहायक	1930	2920

अधीनस्थ संवर्ग के लिए

	वर्तमान	11वां बीपीएस
सशस्त्र गार्ड	390	590
बिल कलेक्टर	390	590
दफ्तरी	560	850
हेड प्यून	740	1120
इलेक्ट्रीशियन	2040	3090
एसी प्लांट ऑपरेटर	2040	3590
ड्राइवर	2370	3590
आईओबी में हेड मैसेंजर	1630	2470

व्यावसायिक शिक्षा वेतन :

	वर्तमान	11वां बीपीएस
अधिकतम पर पहुंचने के एक साल बाद	410	625
2 वर्ष बाद	800	1215
3 वर्ष बाद	1210	1835
4 वर्ष बाद	1620	2455
5 वर्ष बाद	2010	3045

जारी पृष्ठ 3

निश्चित व्यक्तिगत वेतन

सभी केन्द्रों पर	कुल देय एफपीपी जहां बैंक का आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है	कुल देय एफपीपी जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है	एफपीपी का वृद्धि घटक
लिपिकीय संवर्ग	2262	2043	1990
अधीनस्थ संवर्ग	1140	1025	1000

महंगाई भत्ता : दर : 6352 बिन्दुओं पर 4 बिन्दुओं का 0.07% प्रति स्लैब

तिमाही	सूचकांक	10वां बीपीएस	11वां बीपीएस	नया स्लैब	वृद्धि
नवम्बर 17	6504	51.60	2.66	38	—
नवम्बर 20	7712	81.80	23.80	340	43

- **विशेष भत्ता**
  दर : मूल वेतन का 16.4% — विशेष भत्ते पर महंगाई भत्ता देय है

- **परिवहन भत्ता :**
  सभी लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए रू. 600 प्रतिमाह
  परिवहन भत्ते पर महंगाई भत्ता देय है।

- **मकान किराया भत्ता**
  दर : पूरे भारत में वेतन पर 10.25% की समान दर

जहां कि एक कर्मचारी को प्रबंधन द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे 11% मकान किराया भत्ता मिलेगा या वह किराए की रसीद की प्रस्तुति की दशा में पात्र मकान किराया भत्ते के 150% का दावा कर सकता है।

- **वार्षिक चिकित्सा सहायता : रू0 2355 प्रतिवर्ष**

1. **सीएआईआईबी पास करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों को लिपिकीय कर्मचारियों की तरह अतिरिक्त वेतनवृद्धि मिलेगी।**
2. अर्जित अवकाश (एलएफसी के अलावा) का लाभ उठाने के लिए नोटिस अवधि 10 दिनों की होगी। (अभी 15 दिन)
3. बीमारी के आधार पर लिये गये अर्जित अवकाश जब कि क्रेडिट में कोई रूग्णावकाश नहीं है तो अर्जित अवकाश का लाभ लेने के अवसर के रूप में नहीं गिना जाएगा।
4. कैलेंडर वर्ष 2020 से, सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश के नकदीकरण के अलावा और एलएफसी के लाभ के दौरान, अर्जित अवकाश नकदीकरण को उनकी पसंद के किसी भी त्यौहार के समय हर कैलेंडर वर्ष में 5 दिनों (55 वर्ष और उससे अधिक आयु के कर्मचारियों/अधिकारियों के मामले में 7 दिन) की अनुमति दी जाएगी।
5. 30 वर्ष की सेवा के उपरांत, अतिरिक्त रूग्णावकाश प्रतिवर्ष 1 माह स्वीकृत किया जायेगा जो सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 720 दिनों का होगा। (यह अभी 630 दिन है)
6. महिला कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करके अपने बच्चों (8 वर्ष तक) की बीमारी के लिए रूग्णावकाश का लाभ उठा सकती हैं।
7. वेतन की हानि पर असाधारण अवकाश एक बार में 120 दिनों के लिए लिया जा सकता है (अभी 90 दिन)।

जारी पृष्ठ 4

8. प्रसूति अवकाश का लाभ अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजन/निरंतरता में उठाया जा सकता है।
9. वेतन सहित 2 माह का अवकाश हिस्ट्रेक्टोमी ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त प्रसूति अवकाश के रूप में दिया जायेगा जहां कि प्रसूति अवकाश सीमा समाप्त हो चुकी हो।
10. 12 माह की पूरी अवधि के अंतर्गत, एमटीपी/अकाल प्रसव/गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, और यदि आवश्यक हो तो 6 माह तक।
11. एक बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए प्रसूति अवकाश अधिकतम 9 माह तक होगा। (अभी 6 माह)
12. जुड़वां बच्चों की डिलीवरी के लिए प्रसूति अवकाश 8 माह होगा (अभी 6 माह)
13. 12 माह की पूरी अवधि के अंतर्गत, अस्पताल से आवश्यक प्रमाण–पत्र के प्रस्तुतिकरण के अधीन, कुछ निर्दिष्ट बीमारियों के उपचार के लिए अस्पतालीकरण की अवधि के लिए 30 दिनों तक का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
14. पितृत्व अवकाश बच्चा गोद लेने के मामले में स्वीकृत किया जा सकता है।
15. कार्यस्थल या निवास स्थान पर कर्फ्यू, दंगों, निषेध आदेशों, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, आदि के कारण कार्यालय से अनुपस्थिति को ड्यूटी पर विशेष अवकाश के रूप में माना जायेगा।
16. अवकाश यात्रा किराया रियायत : अनुमत दूरी को गैर–अधीनस्थ संवर्ग के लिए 2200 किमी/4400 किमी तथा अधीनस्थ संवर्ग के लिए 2600 किमी/5200 किमी के रूप में संशोधित किया जायेगा।
17. कर्मचारियों को एलएफसी पर रहते हुए अपनी कार से यात्रा करने की अनुमति होगी।
18. सड़क यात्रा व्यय शुल्क को रू0 6 प्रति किमी से रू0 8 प्रति किमी. में संशोधित किया जायेगा।
19. शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस रेलों (एक्सीक्यूटिव क्लास के अतिरिक्त) द्वारा रेल किराये की अवकाश यात्रा किराया रियायत के तहत प्रतिपूर्ति की जाएगी यदि इन रेलों द्वारा यात्रा की जाती है।
20. अवकाश यात्रा किराया रियायत पर स्थानीय पर्यटन स्थलों के लिए शुल्क की अनुमोदित ऑपरेटर से बिल की प्रस्तुति पर पात्रता के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की जाएगी।
21. अवकाश यात्रा किराया रियायत – यदि पति और पत्नी दोनों एक ही बैंक में कार्यरत हैं, तो वे व्यक्तिगत रूप से अवकाश यात्रा किराया रियायत के हकदार होंगे।
22. रेल किराए पर जीएसटी शुल्क पात्रता के अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
23. उत्तर पूर्वी राज्यों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए, अवकाश यात्रा किराया रियायत गुवाहाटी से शुरू होगी और उनके कार्यस्थल से गुवाहाटी तक के किराये के अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा। इसी प्रकार, अंडमान निकोबार द्वीप से चैन्नई/कोलकाता, लक्षद्वीप से कोची, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर में सूदूर क्षेत्र की शाखाओं या कोई अन्य क्षेत्र जो सीधे रेल से नहीं जुड़े हैं, से निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन की सामान्य पात्रता के अतिरिक्त अवकाश यात्रा किराया रियायत के तहत अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की जाएगी।
24. अवकाश यात्रा किराया रियायत के तहत वास्तविक यात्रा के लिए, टिकट बुकिंग की तिथि को गतिशील किराया प्रणाली के तहत रेल किराये की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
25. सरकारी दरों के अनुसार पोनी का संशोधन और डोली शुल्क का परिवर्धन।
26. 2 वर्ष के ब्लॉक या 4 वर्ष के ब्लॉक के बीच चयन करने के लिए एक और विकल्प दिया जायेगा।
27. आश्रितों की परिभाषा के लिए आय मानदंड रू0 10,000 से रू0 12000 तक संशोधित किया जायेगा।
28. स्वैच्छिक सेवा समाप्ति योजना के तहत सेवा से हटाये गए कर्मचारी पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभों के पात्र होंगे, यदि अन्यथा पात्र हैं।
29. स्वैच्छिक सेवा समाप्ति योजना के तहत सेवा से हटाये गए कर्मचारियों को निर्णय के विरूद्ध प्रतिनिधित्व/अपील करने का अवसर दिया जायेगा।
30. पदस्थापना नीति के तहत स्टेशन से बाहर स्थानांतरित किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए, क्षतिपूर्ति राशि को रू0 400 से रू0 600 प्रतिमाह संशोधित किया जायेगा। (एसबीआई के अलावा)

जारी पृष्ठ 5

31. जब कर्मचारी दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरण के दौरान अपनी चल संपत्ति को ले जाते हैं, तो टूट–फूट शुल्क का भुगतान किया जायेगा :

    लिपिकों के लिए रू0 1650 और अधीनस्थ के लिए रू0 1100 (रसीद की प्रस्तुति पर)

    लिपिकों के लिए रू0 1100 और अधीनस्थ के लिए रू0 825 (घोषणा के आधार पर)

32. परिवार की परिभाषा के लिए, कर्मचारियों के शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को आश्रितों के आय मानदंड के अधीन उनके विवाह के बाद भी आश्रित माना जायेगा।

33. एनपीएस फंड में बैंकों का योगदान 10% के बजाय वेतन और महंगाई भत्ते के 14% पर होगा।

34. नई पेंशन योजना के तहत सेवा शुल्कों को कर्मचारियों से वसूल नहीं किया जायेगा और बैंकों द्वारा भुगतान किया जायेगा।

35. साइकिल भत्ता 100 रूपये से बढ़ाकर 150 रूपये किया जाएगा।

36. धुलाई भत्ता 150 रूपये से बढ़ाकर 200 रूपये किया जाएगा।

37. विभाजित सेवा भत्ता – रू. 150 से रू. 200

38. परियोजना क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ते को – बढ़ाया जाएगा

    परियोजना क्षेत्र समूह ए – लिपिक – रू. 290 अधीनस्थ : रू. 230

    परियोजना क्षेत्र समूह बी – लिपिक – रू. 230 अधीनस्थ : रू. 200

    नोट : भविष्य में अगर भारत सरकार किसी भी नई परियोजना के साथ सामने आएगी, और यदि उनके कर्मचारियों को कोई भत्ता दिया जाता है, तो इसे बैंकों में बढ़ाया जाना चाहिए।

39. परियोजना क्षेत्र मकान किराया भत्ते (ए अथवा बी) का भुगतान विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात संवर्धन क्षेत्र, आदि में खोली गई शाखाओं में किया जाएगा।

40. समूह चिकित्सा बीमा नीति/चिकित्सा व्ययों और एलएफसी की प्रतिपूर्ति के तहत कवरेज के लिए परिवार की परिभाषा – माता–पिता या सास–ससुर में से कोई दो – अर्थात् पिता और माता, ससुर और सास, पिता और सास, माता और ससुर, को कवर किया जाना।

41. विराम भत्ते/दैनिक भत्ते में संशोधन

12 लाख और उससे अधिक	–	लिपिक : रू. 1050	अधीनस्थ : रू. 750
5 – 12 लाख	–	लिपिक : रू. 900	अधीनस्थ : रू. 600
5 लाख से नीचे	–	लिपिक : रू. 675	अधीनस्थ : रू. 375

42. एक कर्मचारी निर्धारित सीमा के अधीन होटल किराया रसीद को प्रस्तुत करके विराम व्यय प्रतिपूर्ति का भी दावा कर सकता है : बशर्ते कि होटल किराए की प्रतिपूर्ति के ऐसे मामलों में, विराम भत्ते के 25% पर बोर्डिंग शुल्क देय होगा।

43. पर्वतीय एवं ईंधन भत्ते में संशोधन (एसबीआई लागू नहीं)

3000 मीटर >	8% अधिकतम रू. 2250
1550–3000	4% अधिकतम रू. 900
< 1500 मीटर	3% अधिकतम रू. 750

44. एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरण के दौरान रेल या सड़क द्वारा व्यक्तिगत सामान का परिवहन निम्नानुार संशोधित किया जायेगा

	गैर–अधीनस्थ	**अधीनस्थ**
अ. विवाहित व्यक्तियों के लिए	3500 किग्रा.	2500 किग्रा.
ब. अविवाहित व्यक्तियों के लिए	2500 किग्रा.	1500 किग्रा.

45. पीएलआई योजना को वित्तीय वर्ष 2020–21 से शुरू किया जाएगा।

जारी पृष्ठ 6

अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं प्रक्रिया

46. राज्य के बाहर आयोजित विभागीय जाँचों में उपस्थित होने के लिए बचाव प्रतिनिधियों द्वारा टीए/डीए का दावा करने की पात्रता। दावों की योग्यता को देखते हुए इस तरह के दावों को बैंकों द्वारा मंजूरी दी जायेगी।
47. वाक्यांश 5 (j) की समीक्षा जो कि उन कृत्यों से संबंधित है जिन्हें बैंक के हित के प्रतिकूल आरोपित किया जाता है। ''बैंक के हित के प्रतिकूल कोई भी कार्य करना'' प्रमुख कदाचार के तहत वाक्यांश 5 j से हटा दिया जायेगा।
48. ऐसे कृत्य जो बैंक के हित के प्रतिकूल के रूप में निर्दिष्ट हैं। इसे एक नए वाक्यांश 7 (q) के रूप में लघु कदाचार के तहत शामिल किया जायेगा।
49. समझौता दिनांक 10.4.2002 के वाक्यांश 6 e के प्रावधान के संबंध में स्पष्टीकरण अर्थात् वेतनमान में दो चरणों में कमी लाना। सजा के आदेश में कठोरता की विशिष्ट अवधि का उल्लेख किया जायेगा। यह संचयी प्रभाव के बिना अधिकतम 2 वर्षों के लिए हो सकता है और कठोरता अवधि के दौरान आने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि/अवरोध वेतन वृद्धि संबंधित नियत तिथियों पर जारी की जायेगी।
50. स्पष्टीकरण दिया जायेगा कि समझौता दिनांक 10.4.2002 के वाक्यांश 7 के तहत स्पष्ट रूप से दिए गए मामूली कदाचारों के कृत्यों को वाक्यांश 5 के तहत प्रमुख कदाचार के रूप में नहीं लाया जाना चाहिए।
51. प्रक्रियात्मक कमियों के अनुसार, कई आरोप, एक घटना के लिए लगाये जा सकते हैं। हालांकि, दी गई सजा केवल एक होगी।
52. अनुशासनात्मक प्राधिकारी को यह निर्णय लेने के लिए विवेकाधिकार दिया जाये कि सजा सेवानिवृत्ति लाभ को प्रभावित करेगी या नहीं।
53. सजा के रूप में 'अर्थदंड' लगाने को दंड की सूची से हटा दिया जाना चाहिए।
54. कर्मचारियों के निलंबन के विरूद्ध अपील करने के लिए प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए। प्रबंधन द्वारा विचार के लिए प्रतिनिधित्व की अनुमति होगी।
55. बर्खास्तगी की सजा, डिस्चार्ज, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और सेवा से हटाने के मामले में अपीलीय प्राधिकारी के ऊपर एक समीक्षा प्राधिकारी का प्रावधान। अपीलीय प्राधिकारी के ऊपर एक प्राधिकारी ऐसे दंडों के मामलों में समीक्षा के लिए प्रतिवेदनों पर विचार करेगा।

अभिवादन सहित,

आपके साथी,

ह..	ह..	ह..	ह..
सी.एच. वेंकटचलम्	एस के बंदलीश	उपेन्द्र कुमार	ओ.पी. शर्मा
महामंत्री	महामंत्री	महामंत्री	कार्यवाहक महामंत्री
एआईबीईए	एनसीबीई	एनओबीडब्ल्यू	इन्बैफ